

उत्तर प्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन अनुभाग-2
संख्या-19/2017/836/18-2-2017-97(ल030)/2016
लखनऊ:दिनांक: 28 नवम्बर, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

अवगत ही हैं कि शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016 दिनांक 23 अगस्त, 2017 द्वारा भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केट प्लेस (जेम) की व्यवस्था को राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है एवं शासनादेश संख्या-12/2017/540/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 25 अगस्त, 2017 द्वारा उक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि भारत सरकार द्वारा विकसित ई-मार्केट प्लेस (जेम) पर शासकीय विभागों में सामग्री/सेवाओं के क्रय में आ रही कठिनाईयों के निवारण हेतु जेम के तकनीकी अधिकारियों की एक सेल का गठन किया गया है जिसमें सम्मिलित तकनीकी अधिकारियों का सम्पर्क विवरण निम्नवत है-

क्र0स0	नाम व पद नाम	मोबाइल नम्बर	ई-मेल
1	श्री प्रवीण बाधवानी, कन्सलटेन्ट	8090482904	praveen.badhvani@intellectdesign.com
2	श्री संजय डहरिया, रीजनल मैनेजर	7987704212	sanjai.deharia@intellectdesign.com

3- अवगत कराना है कि उक्त सेल का कार्यालय, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, कैसरबाग, लखनऊ में होगा।

अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-
- 1- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जेम, भारत सरकार, नई दिल्ली।
 - 2- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ विभागों/संस्थानों/निगमों/उपक्रमों के संबंधित अधिकारियों को उक्तानुसार सूचित करने का कष्ट करें।
 - 3- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री।
 - 5- निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 6- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन 30प्र0, कानपुर।
 - 7- संबंधित तकनीकी अधिकारी, जेम।
 - 8- अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, कैसरबाग, लखनऊ।
 - 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है; अतः पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।